# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

## जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

## दिनांक: 15-16 जुलाई, 2024

## स्थान: कलेक्टर कार्यालय, जिला-बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)

कलेक्टर कार्यालय, बुरहानपुर

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली

**श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 09/07/2024 से 28/07/2024 तक मध्य प्रदेश के प्रवास के दौरान दिनांक 15-16 जुलाई, 2024 को बुरहानपुर जिले का दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट।**

**प्रस्तावना -**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वायरलेस संदेश क्रं TP/CP/NCST/2024 दिनांक 10-07-2024 के क्रम में श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नेतृत्व में एक दल ने दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का दौरा किया जिसमें श्री आर. के. दुबे. उप-निदेशक, श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, श्री राजीव सक्सेना, निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, श्री प्रकाश कुमार उईके, सहायक निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष एवं श्री अमृत प्रजापति, सलाहकार ने सहभागिता की।

सर्वप्रथम नेपानगर सर्किट हाउस में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से चर्चा की जिसमें उन्होंने बताया कि बुरहानपुर जिले में जमीन से जुड़े मामले अधिक हैं तथा वन क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या बहुत बढ़ गई है। पूर्व में भी वनों की अवैध कटाई से जुड़े प्रकरण एवं अतिक्रमणकारियों द्वारा पुलिस चौकी को जलाने जैसी घटनायें हुई हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि प्रदेश में वनाधिकार कानून के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों के दावें प्रशासन द्वारा अस्वीकृत करने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष श्री अन्तर सिंह आर्य बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें अनुसूचित जनजाति के

लगभग 5000 से भी अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में श्री आर. के. दुबे, उपनिदेशक द्वारा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त आयोग में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष द्वारा विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा गया कि वे अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाये जा रहे ''एक वृक्ष मां के नाम'' अभियान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए एवं जंगल को बचाने के प्रयास करने चाहिए। पर्यावरण का सरंक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व एवं लक्ष्य होना चाहिए।

**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर) का दौरा-**

कार्यक्रम के उपरांत माननीय अध्यक्ष द्वारा खकनार ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भ्रमण किया गया एवं विद्यालय में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं से चर्चा कर

आयोग के बारे में जानकारी दी गई। आयोग के दल द्वारा पाया गया कि विद्यालय परिसर में पर्याप्त साफ-सफाई नहीं की गई है तथा रसोईघर एवं कक्षाओं में भी गंदगी देखी गई।

**सर्किट हाउस, बुरहानपुर में अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों से की गई चर्चा के बिंदु:**

- बुरहानपुर जिले में वर्ष 2020 से घुमंतु जनजाति के 50 सीटों के 4 छात्रावास भवन रिक्त पड़े है जिनका उपयोग जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए किया जा सकता है।
- अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए विद्यालयों में जाति, मूलनिवासी एवं आय प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होती है जिसे बनवाने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभिभावक को ये प्रमाण-बनवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इस कारण ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि ये सभी प्रमाण-पत्र विद्यालय स्तर पर ही बनाये जा सके।

- अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा वनाधिकर के व्यक्तिगत दावें ग्राम स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय समितियों द्वारा तो मान्य कर लिया जाते हैं परंतु जिला स्तर पर उन्हें अमान्य कर दिया जाता हैं।

- ताप्ती नदी के किनारे राजस्व भूमि पर जनजाति वर्ग के किसान कई वर्षों से कृषि कार्य कर रहे हैं एवं प्रतिवर्ष जुर्माना भी भर रहे हैं, तथापि उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा है।
- जिले में जम्बुपानी एवं पाण्डरीखेड़ा गांव के जनजाति वर्ग के किसानों को वन विभाग नदी से सिंचाई हेतु पानी लेने पर रोक लगा रहा है।
- खकनार ब्लॉक में कई जनजाति वर्ग के किसान पड़त भूमि पर आजादी के बाद से खेती करते आ रहे लेकिन उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा है।

**<u>समीक्षा बैठक का विवरण</u>**

दिनांक 16 जुलाई, 2024 को माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय, बुरहानपुर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयोग के दल सहित जिला प्रशासन के समस्त विभागों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अपना परिचय दिया गया तत्पश्चात आयोग के उपनिदेशक श्री आर. के. दुबे द्वारा आयोग के गठन, कार्य तथा शक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। प्रशासन के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की जानकारियां पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आयोग को दी। आयोग द्वारा विभागवार योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, जो कि निम्नानुसार है:

**सामान्य जानकारी**

बुरहानपुर जिले में 2 ब्लॉक एवं 5 तहसीलें, 167 पंचायतें, 226 राजस्व ग्राम एवं 37 वन ग्राम हैं। बुरहानपुर जिले की सीमा उत्तर में खण्डवा तथा पश्चिम में खरगौन जिले से लगी हुई है, वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र के जलगांव, अमरावती तथा बुल्ढाणा जिलों से लगी हुई है। जिले में केवल खकनार ब्लॉक ही आदिवासी विकासखण्ड है। जिले में कोरकु, गौंड, भील, भिलाला एवं बारेला जनजातियां प्रमुख रुप से निवास करती हैं।

**योजनाओं एवं कार्यक्रमों की तथ्यात्मक जानकारी**

- **जनसंख्या**: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बुरहानपुर जिले की कुल जनसंख्या 7,57,847 है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या 2,30,095 (30.36%) है। जिले की साक्षरता दर 64.36% है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 30.61% है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में महिला साक्षरता दर 24.39% एवं पुरुष साक्षरता दर 36.69% हैं।

- **शिक्षा:** जिले में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की संख्या प्राथमिक स्तर पर 25,693, माध्यमिक स्तर पर 12,672 तथा उच्च माध्यमिक (हाई स्कूल) स्तर पर 6,822 हैं। जिले से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 5.43%, माध्यमिक स्तर पर 10.24% तथा हाई स्कूल स्तर पर 15.36% जनजातीय छात्र-छात्राऐं शाला छोड़ देते हैं। जिले में अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 8 तक के बालक-बालिकाओं के लिए 12 आश्रम संचालित है जिसमें 860 छात्र-छात्रायें निवासरत है। प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या 29,940 (वितरित राशि 173.21 लाख) हैं वहीं पोस्ट मैट्रिक स्वीकृत छात्रवृत्ति विद्यार्थियों की संख्या 1717 (वितरित

राशि 179.98 लाख) हैं। जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में सीएम राईज विद्यालय स्वीकृत हैं जिनमें कक्षा केजी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या 1088 है। जिले के आदिवासी विकासखण्ड खकनार में सातपायरी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें स्वीकृत सीटों की संख्या 480 है।

आयोग द्वारा देखा गया कि जिले में अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर सामान्य वर्ग की अपेक्षा बहुत कम है। **आयोग द्वारा जिले में साक्षरता दर को बढ़ाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों एवं जिले में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में एक रिपोर्ट आयोग को भेजने हेतु निर्देशित किया गया।** जिला कलेक्टर ने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों एवं जिले में छात्रावासों की आवश्यकता के बारे में म.प्र. शासन को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही विमुक्त एवं घुम्मकड़ जनजाति के खाली पड़े छात्रावासों को अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे है।

आयोग के संज्ञान में यह भी आया कि जिले के छात्रावासों में दैनिक संचालन हेतु राशि के आवंटन में देरी तथा अनियमितता है, जिससे छात्रावास अधीक्षकों को छात्रावास के संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के संबंध में आयोग को जानकारी दी गई कि इस योजना के तहत जिले से 22 लाभार्थियों को सिविल सेवा कोचिंग हेतु इंदौर भेजा गया है तथा कुल 4,50,000/- रुपये की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की गई हैं।

- **आंगनवाड़ी केन्द्र**: जनजाति क्षेत्रों में कुल 353 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं जिनमें भोजन बनाने वाले समूहों की संख्या 214 हैं। इन केन्द्रों में लाभान्वित बच्चों की संख्या 18,896 हैं। 80 आंगनवाड़ी भवन 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्रामीण योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत हुए हैं।

- **कृषि:** अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषीय किसानों की संख्या 19,794 हैं, जिनके द्वारा सोयाबीन, मक्का, कपास, मिर्च, गेंहू, चना, हल्दी, अरबी, केला, गन्ना, एवं तरबूज आदि फसलें उगाई जाती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में कृषीय श्रमिकों की कुल संख्या 48,576 हैं।

- **रोजगार**: जिले की अनुसूचित जनजाति वर्ग में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत शिक्षित युवा बेरोजगारों की संख्या 3377 हैं, जिनमें से 2103 कुशल तथा 1274 अकुशल वर्ग है। कला स्नातक 508, विज्ञान स्नातक 376, डॉक्टर 09 तथा तकनीकी रुप से योग्य युवा की संख्या 105 हैं।

  आयोग द्वारा इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी गई। जिला कलेक्टर द्वारा आयोग को अवगत कराया कि जिले में एसबीआई बैंक के सीएसआर सहयोग के तहत संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) एवं भारत सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की कार्ययोजना तैयार कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों में कुल 20162 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी के तहत बेरोजगार लोगों को केले का चिप्स बनाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया हैं।

- **वित्तीय समावेशन :** वर्ष 2022-23 में भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (ऋण राशि 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक) के अन्तर्गत 15 लोगों को रोजगार हेतु ऋण देने का लक्ष्य था लेकिन केवल 7 लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाया है। अन्य योजनाओं के अतंर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत (ऋण राशि 10 लाख रुपये से 1 लाख रुपये तक) 150 के लक्ष्य पर केवल 8 को ही इस योजना का लाभ दिया गया हैं। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया।

| वर्ष | योजना | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना | 15 | 7 |
| | टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना | 150 | 8 |
| 2023-24 | भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना | 15 | 9 |
| | टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत | 150 | 5 |

- **सड़क मार्ग:** जिले के अनुसूचित जनजाति के 53 ग्रामों में नवीन बसे हुए फलियों में संपर्क मार्ग नहीं है। इस बारे में जानकारी दी गई हैं कि अनुसूचित जनजाति के 50% से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श योजना अंतर्गत चयनित 150 ग्रामों में संपर्क मार्ग पुलिया एवं रपटा बनाने की त्रिवर्षीय कार्य योजना तैयार कर स्वीकृत हेतु शासन को भेजी गई है।
- **विद्‌युतीकरण:** जिला बुरहानपुर में मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विद्‌युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बुरहानपुर के अंतर्गत मिश्रित श्रेणी के गांवों /आवासों में कुल 263 ग्रामों में से 36 ग्रामों/फाल्याओं में स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है। इसके लिए जानकारी दी गई कि 15वां वित्त आयोग,

विधायक/ सांसद निधि से उक्त ग्रामों/फाल्याओं में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था स्थानीय निकाय के माध्यम से की जावेगी। साथ ही बताया गया कि बुरहानपुर जिले के ऐसे समस्त ग्राम जहां 20 से अधिक आवासीय मकान हैं, वहां शत प्रतिशत नल जल योजना हैंडपंप एवं सिंगल फेस पावर पंप डालकर पेयजल व्यवस्था कर दी गई है।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** बुरहानपुर जिले में 63 राशन दुकानें शहरी क्षेत्र में तथा 176 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं। खकनार ब्लॉक में 'मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम' योजनातंर्गत राशन पहुंचाने हेतु 3 पिकअप वाहन प्रदाय किये गये हैं, जिनके द्वारा 35 ग्रामों के हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

- **स्वास्थ्य:** जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में कुल 42 स्वास्थ्य संस्थायें हैं, जिनमें 1 जिला चिकित्सालय, 112 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं।

  सिकल सेल रोग के बारे में जानकारी दी गई कि जिले में अभी तक 20 कैंप लगाये गये जिनमें 1,11,210 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी हैं, जिनमें से 125 पॉजीटिव तथा 1654 करियर पाये गये हैं तथा जिले में 44,889 लोगों को आनुवांशिक परामर्श कार्ड वितरित किये गये हैं। कैंप में सिकल सेल से पीड़ित 29 लोगों को विकलांगता का प्रमाण-पत्र वितरित किया गया हैं। आयोग द्वारा जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि इस गंभीर बीमारी की जागरुकता एवं 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग हेतु सतत प्रयास किये जाने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि सिकल सेल की जांच स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य स्थलों जैसे सार्वजनिक वितरण

केन्द्रों पर भी की जा सकती है। आयुष्मान भारत योजनातंर्गत जिले में कुल 6,05,400 प्राप्त आवेदनों में से 5,26,588 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की जानकारी भेजने के संबंध में संबंधित विभाग को आयोग द्वारा निर्देशित किया गया।

बैठक में जानकारी दी गई कि जनजातिय क्षेत्रों में 4 स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्रों में संचालित हो रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टॉफ एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बताई गई। आयोग द्वारा जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि जिले में रिक्त पदों का विवरण एवं संसाधनों की कमी की जानकारी भेजी जाये।

- एट्रोसिटी एक्ट के अन्तर्गत राहत राशि एवं सजा के प्रावधान अंतर्गत वर्ष 2021 से 2024 तक कुल 66 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिसमें 99 लाख रुपये की राहत राशि का वितरण विभाग द्वारा किया गया। केवल 10 प्रकरणों में आरोपी को सजा हुई, 31 प्रकरण में बरी किया गया तथा 24 प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि बजट की कमी की वजह से राहत राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। आयोग द्वारा लंबित प्रकरणों की जानकारी आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया।

- **वन अधिकार अधिनियम:** जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि वनाधिकार अधिनियम के तहत कुल पात्र 8065 दावेदारों को 17962.86 हैक्टेयर का वनाधिकार पत्र वितरित किये गये। जिले में वनाधिकार कानून के तहत अधिकार पत्र प्राप्त करने में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिले में वनाधिकार के अन्तर्गत व्यक्तिगत दावा प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा। समिति की देखरेख में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का निराकरण संभव हो सकेगा। आयोग द्वारा निर्देश दिया गया कि वनाधिकार अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावें प्राप्त हुए एवं कितने दावों में जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य करके पट्टे दिये गये तथा कितने दावें अमान्य किये गये, इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग को भेजी जाएं। आयोग द्वारा बताया गया कि जिले में वनाधिकार पट्टो के बहुत दावें लंबित हैं, जिनका पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मामलों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैं।

- अनुसूचित जनजाति की भूमि के नामान्तरण के संबंध में आयोग द्वारा राजस्व विभाग से प्रश्न किया गया कि आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि का नामान्तरण परिवार के सदस्यों में किस प्रकार किया जाता है? विभाग द्वारा बताया गया कि इस स्थिति में भूमि का नामान्तरण/बंटवारा 'हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम' के अन्तर्गत किया जाता है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि इस परिस्थिति में भूमि का नामान्तरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से न किया जाकर जनजाति समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाना चाहिए।

- **आवासीय पट्टों की जानकारी:** पिछले 10 वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों को वितरित आवास पट्टों की संख्या निम्नानुसार है:

| विकासखण्ड | योजना का नाम | वितरित पट्टों की संख्या | क्षेत्रफल (प्रतिवर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| खकनार | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना | 238 | 56 |
| | वन अधिकार अधिनियम योजना | 229 | 118 |
| | धारणाधिकार योजना (नगरीय क्षेत्र) | 13 | 40 |
| | **कुल** | **150** | **8** |
| बुरहानपुर | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना | 36 | 56 |
| | धारणाधिकार योजना (नगरीय क्षेत्र) | 19 | 35 |
| | **कुल** | **55** | **91** |

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए स्वामित्व योजनान्तर्गत बनाये गये भू-खण्ड धारक प्रमाण-पत्र:

| विकासखण्ड का नाम | स्वामित्व योजनान्तर्गत बनाये गये प्रमाण-पत्रों की संख्या |
|---|---|
| बुरहानपुर | 3105 |
| खकनार | 26,587 |
| **योग** | **29,692** |
| **विकासखण्ड का नाम** | **प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत निर्मित आवासों की संख्या** |
| बुरहानपुर | 27,736 |
| खकनार | 19,349 |

| | |
|---|---|
| **योग** | **47,085** |

जिले में अनुसूचित जनजाति परिवारों के आवास निर्माण संबंधी योजना की जानकारी इस प्रकार है:

| **विकासखण्ड** | **आवास योजना** | **स्वीकृत / लांभावित आवासों की संख्या** |
|---|---|---|
| बुरहानपुर | इंदिरा आवास योजना | 3291 |
| | प्रधानमंत्री आवास योजना | 11402 |
| | लाड़ली बहना आवास योजना | 4656 (प्रस्तावित) |
| खकनार | इंदिरा आवास योजना | 3131 |
| | प्रधानमंत्री आवास योजना | 16749 |
| | लाड़ली बहना आवास योजना | 7856 (प्रस्तावित) |
| नगरीय क्षेत्र | प्रधानमंत्री आवास योजना | 603 |

- आयोग द्वारा उज्जवला योजना 2.0 की जानकारी मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत लक्षित परिवारों की संख्या 1,14,149 हैं। फेज-2 के अन्तर्गत 5777 परिवारों का लक्ष्य मिला जिसमें से 5,821 कनेक्शन हितग्राहियों को दिए जा चुके हैं। कुल 7198 आवेदन प्राप्त हुए है। इस संबंध में बताया गया कि लोग कनेक्शन लेने के लिए इच्छुक हैं परंतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य कम होने की वजह से कम्पनियां कनेक्शन नहीं दे पा रही हैं। अगर लक्ष्य को बढ़ा दिया जाये तो योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिल सकता हैं। यह भी बताया गया कि हितग्राहियों द्वारा नया कनेक्शन लेने के बाद रिफिलिंग कम संख्या में करवाई गई हैं।

- **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:** आयोग द्वारा जानकारी मांगी गई कि इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग में कितने सामूहिक विवाह किये गये हैं। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में दो बार सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है जिसमें पहली बार 357 एवं दूसरी बार में 191 विवाह सम्पन्न कराये गये हैं। प्रशासन द्वारा इस योजना को बहुत उपयोगी बताया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि जनजाति समुदाय में कम उम्र में विवाह करने का प्रचलन होने के कारण बच्चें के जन्म के समय स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
- **पेसा अधिनियम:** आयोग द्वारा पेसा अधिनियम को लेकर प्रशासन द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा की गई। आयोग द्वारा जिला प्रशासन से जिले में संचालित वनधन केन्द्रों की जानकारी मांगी गई। इस संबंध में जिला वन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कोई भी वनधन केन्द्र स्वीकृत नहीं है तथा पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य शासन को 14 वनधन केन्द्रों के लिए मांगपत्र भेजा गया है। आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि लघु वनोपज के संबंध में जिला प्रशासन ट्रायफेड से भी सम्पर्क कर सकता है ताकि अनुसूचित जनजाति परिवारों को लघु वनोपज का उचित मूल्य एवं बाजार उपलब्ध हो सकें।
- वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के संबंध में जानकारी दी गई है कि जिले में 37 वन ग्राम है जिनको राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने हेतु गजट नोटिफिकेशन जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित किया चुका है तथा योजना राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

- आयोग द्वारा जानकारी मांगी गई कि अनुसूचित जनजाति की जमीन गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अधिगृहित करने के संबंध में कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

- **विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी:**

| विभाग का नाम | अ.ज.जा. के रिक्त पद | बैकलाग से भरे पद (5 वर्षों में) |
|---|---|---|
| पुलिस विभाग | 0 | 0 |
| राजस्व विभाग | 3 | 1 |
| जनजातीय विभाग | 251 | 112 |
| शिक्षा विभाग | 235 | 55 |
| नगरीय निकाय | 10 | 10 |

बैठक के अंत में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कलेक्टर भव्या मित्तल जिला- बुरहानपुर को बैठक में हुई चर्चाओं और आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यवाही करते हुए आयोग को कार्यपालन प्रतिवेदन भिजवाने का निर्देश दिया। जिला- कलेक्टर, बुरहानपुर ने भी आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को जिले में आगमन एवं उपयोगी विचार-विमर्श हेतु आभार प्रकट किया।